कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्री अर्जुन मीना पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण मीना, गांव प्यारीवास, पोस्ट मानुरिया, तहसील नांगल राजावतान, जिला दौसा, राजस्थान 303505।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा।

अपील सं0 09/2021

दिनांक : 12.03.2021

निर्णय

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वॉछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा को इस कार्यालय के पत्रांकःडीएम/कोर्ट/2021/324 दिनांक 10.02.2021 एवं स्मरण पत्रांकः डीएम/कोर्ट/2021/448 दिनांक 25.02.2021 द्वारा प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नांगल राजावतान से संबंधित होने के कारण लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर दौसा, जिला दौसा द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 6(3) द्वारा स्थानान्तरित किया गया। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी, अति जिला कलक्टर दौसा ने पत्रांक 116 दिनांक 12.02.2021 के संलग्न लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नांगल राजावतान के पत्रांक 600 दिनांक 24.12.2021 द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया जिसमे पटवारी हल्का प्यारीवास से आवेदक द्वारा सूचना नही लेना एवं काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नही दिया जाना अंकित है। जिसका कारण पटवारी रिपोर्ट मे आवेदक की टिप्पणी के अनुसार दी गई सूचना वांछित सूचना से संबंधित नही होना बताया है। पुनः पत्रावली अवलोकन पश्चात लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी दौसा को पत्रांक 584 दिनांक 09.03.2021 जारी कर आवेदक को सूचना उपलब्ध कराते हुए टिप्पणी चाही गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा के पत्रांक 351 दिनांक 12.03.21 द्वारा अवगत करवाया जिसमे तहसीलदार दौसा/लवाण को अविलम्ब सूचना उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त सभी पत्रादि पत्रावली मे संलग्न है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना/नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी दौसा, जिला दौसा को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट को वांछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official